



2025:CGHC:19722

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरविविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 1620/2017आदेश सुरक्षित करने का दिनांक 21.04.2025आदेश पारित करने का दिनांक 30.04.2025

शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय अंबिकापुर छत्तीसगढ़,
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा: प्राधिकृत सिग्नेटरी, बिलासपुर संभागीय कार्यालय
द्वितीय तल गुरुकृपा टावर्स व्यापार विहार रोड बिलासपुर छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

विरुद्ध

1. साधना पति स्व. बच्चा लाल, आयु लगभग 44 वर्ष, व्यवसाय- गृहिणी, निवासी- ग्राम कलुआ पोस्ट कलुआ, थाना-सूरजपुर जिला:सूरजपुर छत्तीसगढ़
2. हेमंत कुमार पिता स्व. बच्चा लाल, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी- ग्राम कलुआ पोस्ट कलुआ, थाना सूरजपुर जिला: सूरजपुर छत्तीसगढ़
3. श्याम लाल पिता स्व. बच्चा लाल, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी- ग्राम कलुआ पोस्ट कलुआ, थाना सूरजपुर जिला: सूरजपुर छत्तीसगढ़
4. बाँबी बाई पिता स्व. बच्चा लाल, आयु लगभग 25 वर्ष, व्यवसाय- गृहिणी, निवासी- ग्राम कलुआ पोस्ट कलुआ, थाना सूरजपुर जिला: सूरजपुर छत्तीसगढ़
5. रामप्रवेश माली, पिता रामअवतार माली, आयु लगभग 46 वर्ष, विवेकानन्द कॉलोनी चरचा तहसील बैकुण्ठपुर जिला: कोरिया छत्तीसगढ़

--- प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी की ओर से	: श्री बी.एन.नन्दे, अधिवक्ता, सह श्री प्रियांशु गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण 1 से 4 की ओर से	: श्री प्रवीण धुरंधर, अधिवक्ता, सह श्री प्रहलाद श्रीवास, अधिवक्ता

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 51/2018

1. साधना पति स्व. बच्चा लाल, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी- बरदिया थाना:पटना, तहसील बैकुंठपुर जिला: कोरिया, छत्तीसगढ़



2. हेमन्त कुमार पिता बच्चा लाल, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी- बरदिया थाना: पटना तहसील बैकुंठपुर जिला: कोरिया, छत्तीसगढ़
3. श्यामलाल पिता बच्चा लाल, आयु लगभग 24 वर्ष निवासी- बरदिया थाना: पटना, तहसील बैकुंठपुर, जिला: कोरिया, छत्तीसगढ़.
4. बाबी बाई पिता बच्चा लाल, आयु लगभग 25 वर्ष निवासी- गांव कलुवा, पोस्ट कुलवा, थाना सूरजपुर, जिला: सूरजपुर, छत्तीसगढ़.**दावाकर्तागण**

---अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1. रामप्रवेश माली पिता रामअवतार माली, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी- विवेकानंद कॉलोनी, चरचा, तहसील बैकुंठपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़... दुर्घटना कारित करने वाले वाहन पंजीयन क्रमांक CG-16-C-7255 का चालक-सह-स्वामी।
2. शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़... दुर्घटना कारित करने वाले वाहन पंजीयन क्रमांक CG-16-C-7255 का **बीमाकर्ता**

---प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थीगण की ओर से
प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से

: श्री प्रवीण धुरंधर, अधिवक्ता, सह श्री प्रहलाद श्रीवास, अधिवक्ता
: श्री बी.एन.नन्दे, अधिवक्ता, सह श्री प्रियांशु गुप्ता, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

सी.ए.वी. आदेश

1. दोनों अपीलें मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के अधीन प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 60/2013 (एतस्मिन् पश्चात जिसे "प्रश्नधीन अधिनिर्णय" कहा जाएगा) में अतिरिक्त मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण(फास्ट ट्रैक कोर्ट) बैकुंठपुर, जिला-कोरिया, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 25/08/2017 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में यह हैं कि दिनांक 14/10/2011 को बच्चा लाल (मृतक) विनोद कुमार के साथ मोटरसायकल पर ग्राम बरतिया जा रहा था। जब वे भादी देवला के पास पहुंचे तो विपरीत दिशा से आ रही मोटरसायकल जिसका पंजीयन क्रमांक CG-16-C-7255 (एतस्मिन् पश्चात जिसे "दुर्घटना कारित करने वाला वाहन" कहा जाएगा) जिसे रामप्रवेश माली चला रहा था, ने तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक



चलाते हुए उनकी मोटरसायकल को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप बच्चा लाल के सिर, नाक, कान, हाथ आदि पर गंभीर चोटें आईं। उसे पहले शासकीय चिकित्सालय बैकुंठपुर ले जाया गया। परंतु चोटों की गंभीरता को देखते हुए उसे क्षेत्रीय चिकित्सालय चरचा रेफर किया गया, जहां से उसे फिर से अपोलो अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया, जहां उसे दिनांक 14/11/2011 तक अर्थात् करीब एक माह तक भर्ती कर उपचार किया गया। चिकित्सालय से दो दिन का अवकाश लेकर वह घर आया था। दिनांक 18/11/2015 को जब वह उपचार के लिए अपोलो अस्पताल बिलासपुर जा रहा था, तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में विनोद कुमार की सूचना पर दिनांक 14/10/2011 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) दर्ज की गई। बच्चा लाल की मृत्यु की सूचना मिलने पर पुलिस ने अन्वेषण पूर्ण कर दुर्घटना कारित करने वाले मोटरसायकल चालक रामप्रवेश माली के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 व 304-क के अधीन आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

3. मृतक बच्चा लाल की पत्नी और तीन संतानों ने मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अधीन दावा आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें व्यक्त किया गया कि 45 वर्षीय बच्चा लाल एसईसीएल कटकोना कोलियरी में कार्यरत था और दुर्घटना में उसकी आकस्मिक मृत्यु के कारण वे निराश्रित हो गए हैं। अतः उन्होंने विभिन्न मदों में ब्याज सहित 43,00,000/- रुपए का क्षतिपूर्ति दिलाने का अनुरोध किया।

4. दावा प्रकरण में, मृतक बच्चा लाल की पत्नी साधना (आवेदक साक्षी-1) और पुत्र श्यामलाल (आवेदक साक्षी-2) का दावाकर्ता पक्ष की ओर से परीक्षण किया गया, जबकि अनावेदकों की ओर से दुर्घटना कारित करने वाले मोटरसायकल के चालक रामप्रवेश माली (अनावेदक साक्षी-1) का परीक्षण कराया गया। उभयपक्ष को सुनने के उपरांत, अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन का बीमा अपीलार्थी-बीमा कंपनी द्वारा किया गया था और बीमा शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। अधिकरण द्वारा मृतक की ओर से सहभागी उपेक्षा के संबंध में अनावेदक पक्ष के तर्क को अस्वीकार कर दिया गया। बच्चा लाल की मृत्यु के पश्चात, चूंकि वादी पक्ष ने पुलिस को उसकी मृत्यु की सूचना नहीं दी, अतः प्रकरण में कोई मर्ग दर्ज नहीं किया गया और न ही बच्चा लाल का शवपरीक्षण कराया गया। परंतु अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बच्चा लाल की मृत्यु आकस्मिक चोटों के कारण हुई थी और यह पाते हुए, बच्चा लाल की मासिक आय 26,783/- रुपये, आयु 55 वर्ष, भविष्य की संभावनाएं 15% और व्यक्तिगत व्यय आय का 1/4 भाग निर्धारित किया। 11 का गुणक लागू करते हुए तथा अन्य मदों के अंतर्गत 70,000 रुपए स्वीकृत करते हुए, दावेदारों के पक्ष में तथा अपीलकर्ता बीमा कंपनी, दुर्घटना कारित करने वाले मोटरसायकल के चालक/स्वामी रामप्रवेश माली के विरुद्ध 27,21,616/- रुपए का अधिनिर्णय पारित किया गया।



5. अपीलार्थी बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता का प्रथम तर्क यह है कि मृतक बच्चा लाल की मृत्यु की सूचना न तो पुलिस को दी गई और न ही उसके शव का शवपरीक्षण कराया गया। इस प्रकार प्रकरण में यह साबित नहीं हुआ कि बच्चा लाल की मृत्यु दुर्घटनावश लगी चोटों के कारण हुई। ऐसी स्थिति में मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर पारित प्रश्नाधीन अधिनिर्णय संधारणीय नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **अनिल व एक अन्य विरुद्ध न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड व अन्य, (2018) 2 एससीसी 482** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया।

6. दूसरी ओर दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मृतक की पत्नी साधना (आवेदक साक्षी-1) एवं पुत्र श्यामलाल (आवेदक साक्षी-2) का न्यायालय में परीक्षण कराया जा चुका है। पुलिस द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले मोटर सायकल के चालक रामप्रवेश माली के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र के दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी-1 से 39 के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। जिससे, स्पष्ट है कि दुर्घटना में लगी चोटों के कारण बच्चा लाल लगभग एक माह दिनांक 14/11/2011 तक अपोलो अस्पताल बिलासपुर में भर्ती रहा तथा मात्र 02 दिन के लिए घर आया। जब वह पुनः उपचार हेतु अपोलो अस्पताल बिलासपुर जा रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार साक्ष्य एवं परिस्थितियों से यह साबित हो गया है कि उसकी मृत्यु दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई है। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क ग्राह्य नहीं है, अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अन्तर होने के कारण बीमा कम्पनी को उसके द्वारा उद्धृत निर्णय से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया।

8. साक्ष्यों से स्पष्ट है कि दुर्घटना कारित करने वाले मोटर सायकल के चालक रामप्रवेश माली ने भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि बच्चा लाल दुर्घटना में आहत हुआ था। मृतक की पत्नी साधना (आवेदक साक्षी-1) और पुत्र श्यामलाल (आवेदक साक्षी-2) ने कथन किया है कि बच्चा लाल दुर्घटना में आहत हुआ था। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-39 तक यह भी स्पष्ट करते हैं कि आहत होने के बाद बच्चा लाल को पहले शासकीय अस्पताल बैकुंठपुर, फिर चरचा अस्पताल तथा 15/10/2011 से 14/11/2011 तक उपचार हेतु अपोलो अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया गया था। यद्यपि शवपरीक्षण नहीं कराया गया है, परंतु दुर्घटना के तुरंत बाद किए गए उसके चिकित्सा परीक्षण (प्रदर्श पी-4) से ज्ञात होता है कि उसे कई चोटें आई थीं और उसकी हालत गंभीर थी। अपोलो अस्पताल बिलासपुर में उसका उपचार लगभग एक माह तक चला। दिनांक 14/11/2011 को उन्हें



अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और दिनांक दिनांक 18/11/2011 को उपचार के लिए पुनः अस्पताल जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा रामप्रवेश के विरुद्ध धारा 304(क) के अंतर्गत आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। सम्पूर्ण साक्ष्य में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे यह ज्ञात हो कि उनकी मृत्यु दुर्घटना में लगी चोटों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से हुई है।

9. अनिल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में बीमा कंपनी द्वारा उद्धृत निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था। अपास्त करने का कारण यह था कि मृत्यु दुर्घटना में हुई साबित नहीं हुई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया। उस प्रकरण में जिस ट्रैक्टर से दुर्घटना होने की बात कही गई थी, वह मृतक के भाई का था। उस प्रकरण में शवपरीक्षण नहीं कराया गया था। दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट लगभग एक माह के विलंब से दर्ज की गई थी। मृतक की चोटों के संबंध में अस्पताल के उपचार के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था। उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय ने पाया कि यह साबित नहीं हुआ कि मृत्यु दुर्घटना कारित करने वाले वाहन यानी ट्रैक्टर से लगी चोटों के कारण हुई थी।

10. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में न केवल दुर्घटना दिनांक 14.10.2011 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, बल्कि आहत बच्चा लाल के 14/11/2011 तक एक माह तक अपोलो अस्पताल, बिलासपुर में भर्ती रहने के दस्तावेज भी अभिलेख में हैं तथा डिस्चार्ज समरी भी प्रस्तुत की गई है। एमएलसी रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि मृतक को गंभीर चोटें आई थीं। मृतक और दुर्घटना कारित करने वाले मोटरसायकल के स्वामी के मध्य कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र के अनुसार बच्चा लाल की मृत्यु दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी तथा दुर्घटना कारित करने वाले मोटरसायकल के चालक रामप्रवेश माली के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304-क के अधीन आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

11. मोटर यान अधिनियम के अधीन दावा आवेदन संक्षिप्त अन्वेषण का प्रकरण है, जिसमें साक्ष्य अधिनियम के सख्त प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में, मोटरयान दुर्घटना प्रकरणों में अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा एकत्र किए गए आरोप-पत्र व अन्य दस्तावेजों की विश्वसनीयता से निपटान करते हुए, **मंगला राम विरुद्ध ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य, (2018) 5 एससीसी 656** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दावाकर्तागण के प्रकरण को अधिकरण द्वारा संभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर तय किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से युक्तियुक्त संदेह से परे साक्ष्य के मानक के आधार पर नहीं और निम्नानुसार अवधारित किया:



"27. प्रत्यर्थी 2 और 3 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक और कारण यह था कि अधिकरण द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले जीप के चालक की उपेक्षा के तथ्य के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया। तथ्यात्मक रूप से, यह दृष्टिकोण अस्थिर है। अधिकरण द्वारा किए गए विश्लेषण की हमारी समझ यह है कि जीप क्रमांक RST 4721 जब अपीलार्थी की मोटरसायकल से टकराया तब उसे प्रत्यर्थी 2 द्वारा तेज गति व उपेक्षापूर्वक चलाया गया था जिससे दुर्घटना हुई। यह साक्षियों के साक्ष्य और पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र के घटकों से समझा जा सकता है, जिसमें प्रत्यर्थी 2 का नाम है। इस न्यायालय ने डुलसीना फर्नांडीस (डुलसीना फर्नांडीस विरुद्ध जोएकिम जेवियर क्रूज़, (2013) 10 एससीसी 646) में हाल ही में पारित निर्णय में उल्लेख किया कि जीप के चालक की ओर से की गई उपेक्षा की मुख्य बात दावाकर्तागण द्वारा स्थापित किए गए दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को अधिकरण द्वारा संभाव्यता के प्रबलता की कसौटी पर तय किया जाना चाहिए था, न कि युक्तियुक्त संदेह से परे साक्ष्य के मानक पर। यह देखना पर्याप्त है कि हमारे द्वारा पहले से ही उल्लेखित निर्णयों में प्रत्यर्थी 2 के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत करना प्रथम दृष्टया वाहन को तेज गति व उपेक्षापूर्वक चलाने में उसकी सहभागिता की ओर इंगित करता है। इसके अतिरिक्त, जब अभियुक्तों को दाण्डिक प्रकरण में दोषमुक्त किया गया था, तब भी इस न्यायालय का अभिमत था कि मोटरयान दुर्घटना प्रकरणों के संबंध में अधिकरण द्वारा आवश्यक देयता के आकलन पर इसका कोई प्रभाव न पड़े।"

12. मैथ्यू अलेक्जेंडर विरुद्ध मोहम्मद शफी व अन्य (2023) 13 एससीसी 510 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दावाकर्तागण को अपना प्रकरण संभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर स्थापित करना होगा; सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण क्षतिपूर्ति की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते समय युक्तियुक्त संदेह से परे साक्ष्य के मानक को लागू नहीं किया जा सकता है और निम्नानुसार अवधारित किया:

"12.अधिकरण द्वारा साक्ष्य के समग्र दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए और किसी विशेष वाहन द्वारा किसी विशेष ढंग से की गई दुर्घटना का पुख्ता साक्ष्य दावाकर्तागण द्वारा स्थापित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। दावाकर्तागण को अपने प्रकरण को संभावनाओं की प्रबलता की कसौटी पर स्थापित करना होगा। सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण



क्षतिपूर्ति की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते समय युक्तियुक्त संदेह से परे साक्ष्य के मानक को लागू नहीं किया जा सकता है। डुलसीना फर्नांडीस विरुद्ध जोएकिम जेवियर क्रूज, (2013) 10 एससीसी 646 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी भी इसी प्रभाव के लिए है, जिसमें बिमला देवी में उपरोक्त निर्णय का उल्लेख किया गया है।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, अधिकरण का यह निष्कर्ष कि दिनांक 18/11/2011 को बच्चा लाल की आकस्मिक मृत्यु दिनांक 14/10/2011 को हुई दुर्घटना में लगी चोटों का परिणामस्वरूप हुई थी, अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के विकृत या विपरीत नहीं पाया गया। अतः इस संबंध में बीमा कंपनी द्वारा दिया गया तर्क ग्राह्य नहीं पाया गया।

14. अपीलार्थी बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता का दूसरा तर्क यह है कि यद्यपि मृतक बच्चा लाल द्वारा चलाई जा रही मोटर सायकल तथा चालक रामप्रवेश द्वारा चलाई जा रही मोटर सायकल के मध्य आमने-सामने की टक्कर का तथ्य स्पष्ट है, फिर भी अधिकरण ने इसे सहभागी उपेक्षा का प्रकरण न मानकर त्रुटि की है। तर्क किया गया है कि इस प्रकरण में मृतक की भी सहभागी उपेक्षा थी, अतः अधिनिर्णय को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।

15. दावाकर्ता पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बीमा कम्पनी के उपरोक्त तर्क का विरोध किया तथा तर्क किया कि इस सम्बन्ध में अधिकरण का निष्कर्ष उपयुक्त है।

16. अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट है कि मृतक की पत्नी साधना एवं पुत्र श्यामलाल को घटनास्थल पर उपस्थित साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने कथन किया है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक रामप्रवेश माली मोटरसायकल को तेजी एवं उपेक्षापूर्वक चला रहा था तथा दुर्घटना उसकी लापरवाही के कारण हुई। दूसरी ओर, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक रामप्रवेश माली ने स्वयं कथन किया है कि बच्चा लाल अपनी मोटरसायकल पर तीन व्यक्तियों के साथ तेज गति से आया तथा उसकी मोटरसायकल को सामने से टक्कर मार दी। किन्तु उल्लेखनीय है कि दावाकर्ता पक्ष द्वारा न केवल पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, बल्कि दुर्घटना में दुर्घटना कारित करने वाले मोटरसायकल के चालक रामप्रवेश की उपेक्षा एवं लापरवाही पाते हुए उसके विरुद्ध आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) भी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक रामप्रवेश माली वाहन को तेजी व उपेक्षापूर्वक चला रहा था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।



17. बीमा कम्पनी का यह तर्क कि मृतक की पत्नी साधना (आवेदक साक्षी-1) एवं पुत्र श्यामलाल (आवेदक साक्षी-2) घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं, ग्राह्य नहीं है। पुलिस की अंतिम रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) के अनुसार मृतक के पुत्र श्यामलाल को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है, जिसका खंडन नहीं किया जा सका। अतः साक्षी श्यामलाल द्वारा दुर्घटना में रामप्रवेश अर्थात् दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक की ओर से तेज गति एवं उपेक्षा के सम्बन्ध में दिया गया कथन, जिसकी पुष्टि पुलिस आरोप-पत्र से भी होती है, का खंडन नहीं किया जा सका, अतः उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

18. रामप्रवेश माली ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि दुर्घटना दो मोटरसाइकिलों के मध्य आमने-सामने की टक्कर के कारण हुई, जिसकी पुष्टि मृतक के पुत्र श्याम लाल की प्रतिपरीक्षण के कंडिका-3 से भी होती है। परंतु केवल इस कथन के आधार पर कि दो मोटरसाइकिलों के मध्य आमने-सामने की टक्कर हुई थी, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मृतक ने भी दुर्घटना में योगदान दिया। जिस प्रकार से मृतक के पुत्र श्यामलाल ने यह कथन किया है कि दुर्घटना दुर्घटना कारित करने वाले मोटरसायकल के चालक रामप्रवेश माली की तेज गति एवं उपेक्षा के कारण हुई, उसकी पुष्टि पुलिस की अंतिम रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) व प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) से भी होती है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में केवल आमने-सामने की टक्कर के कथन के आधार पर मृतक के अभिदायी उपेक्षा का अवधारण नहीं किया जा सकता। अतः अपीलार्थी - बीमा कंपनी की अभिदायी उपेक्षा के संबंध में तर्क ग्राह्य नहीं पाया गया।

19. अपीलार्थी- बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क है कि प्रकरण में कुल 4 दावाकर्तागण में से 3 दावाकर्तागण मृतक के वयस्क संतानें हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मृतक पर आश्रित नहीं माना जा सकता तथा व्यक्तिगत व्यय के लिए की गई 1/4 कटौती 1/2 होनी चाहिए। इस संबंध में दावाकर्ता पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकरण द्वारा दिया गया निष्कर्ष उपयुक्त है।

20. अभिलेख एवं प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि बीमा कम्पनी ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट कथन नहीं किया है कि पत्नी के अतिरिक्त शेष दावाकर्तागण जो मृतक के वयस्क संतानें हैं, उनकी कोई पृथक आय है अथवा वे विवाहित हैं अथवा मृतक से अलग रहते हैं। दावाकर्ता हेमन्त कुमार, श्यामलाल एवं बाबी बाई की आयु क्रमशः 23, 24 एवं 25 वर्ष दर्शाई गई है। जिससे यह ज्ञात होता है कि वे वयस्क हैं, किन्तु इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि वे विवाहित हैं, अलग रहते हैं अथवा पृथक आय अर्जित करते हैं। श्याम लाल के प्रतिपरीक्षण में भी इस संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया गया है।



21. इस स्थिति में, यह पाया गया कि कुल चार दावाकर्तागण अर्थात् मृतक की पत्नी सहित तीन संतानों को विधिक प्रतिनिधि मानते हुए व्यक्तिगत व्यय के लिए आय का 1/4 हिस्सा की कटौती में कोई त्रुटि नहीं है।

22. उपरोक्त विमर्श के आधार पर, यह पाया गया कि बीमा कंपनी द्वारा उठाए गए तर्क ग्राह्य नहीं हैं। अतः बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत अपील एतद्द्वारा **खारिज** की जाती है।

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 51/2018

23. अधिकरण ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत, क्षतिपूर्ति की गणना निम्नानुसार की है:

मद	राशि
मासिक आय	26783
व्यक्तिगत व्यय हेतु आय का 1/4 भाग की कटौती के उपरांत	20088
वार्षिक आश्रितता	241056
आश्रितता की कुल हानि (11 का गुणक लागू करने पर)	26,51,616
अंतिम संस्कार व्यय	20,000
प्रेम और स्नेह	50,000
कुल	रु. 27,21,616

24. अपीलार्थी/दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकरण ने क्षतिपूर्ति की गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया है क्योंकि यह विवेचना में असफल रहा कि यदि मृतक दुर्घटना का शिकार नहीं होता तो वह और अधिक धन अर्जित सकता था। आगे उनका तर्क है कि अन्य मदों के अधीन अधिनिर्णीत राशि को भी उचित रूप से वर्धित किया जाए।

25. दूसरी ओर, बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी/दावाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया और तर्क किया कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति उचित एवं न्यायसंगत है और इसमें किसी वृद्धि की आवश्यकता नहीं है।

26. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।



27. मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरण में, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा पारित किया जाने वाला अधिनिर्णय क्षतिपूर्ति प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित एवं न्यायसंगत होना चाहिए। न तो क्षतिपूर्ति राशि अल्प होनी चाहिए, न ही अत्यधिक।

28. अब, यह न्यायालय इस तथ्य का परीक्षण करेगा कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति प्रकरण के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत और उचित है या नहीं।

29. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 55 वर्ष थी और वह एस.ई.सी.एल. कटकोना कोलियरी में कार्यरत था। अभिलेख पर प्रस्तुत वेतन पर्ची प्रदर्श पी.-10 के अनुसार मृतक का वेतन 26,783/- रुपये प्रति माह था। अतः अधिकरण ने मृतक की मासिक आय 26,783 रुपये मानी है जो इस न्यायालय के अभिमतानुसार उचित है। तदनुसार, वार्षिक आय 3,21,396/- रुपये होगी।

30. अधिकरण ने क्षतिपूर्ति की गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी व अन्य (2017) 16 एससीसी 680 के अनुसार तथा मृतक की आयु 55 वर्ष मानते हुए, भविष्य की संभावनाएं 15% होंगी। भविष्य की संभावनाओं के लिए आय का 15% जोड़ने के उपरांत, अर्थात् 48209.4 पूर्णांकित 48209 रुपये, राशि 369605 रुपये हो जाती है।

31. मृतक की वार्षिक आय से आयकर के लिए वैधानिक कटौती की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए आयकर स्लैब निम्नानुसार था:

		<u>कर योग्य आय</u>	<u>आयकर</u>
1,80,000 तक	- शून्य		
1,80,001 से 5,00,000	- 10%	1,89,605	18,960.5

32. इसके दृष्टिगत, मृतक की कर योग्य आय 1,89,605 रुपये (369605-180000) है, जिस पर 10% आयकर लागू होगा जो 18960.5 है, जिसे 18961 रुपये के समान पूर्णांकित किया गया है। आयकर की कटौती के उपरांत वार्षिक आय 3,50,644 रुपये है।

33. कुल 4 दावाकर्ता हैं, इसलिए व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौती आय का 1/4 भाग होगी, जैसा कि अधिकरण द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है। सरला वर्मा (श्रीमती) व अन्य विरुद्ध दिल्ली



परिवहन निगम व एक अन्य (2009) 6 एससीसी 121 में प्रकाशित, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी व अन्य (2017) 16 एससीसी 680 में प्रकाशित और मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध नानू राम उर्फ चुहू राम व अन्य (2018) 18 एससीसी 130) में प्रकाशित प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, क्षतिपूर्ति की पुनर्गणना निम्नानुसार की जा रही है: -

क्रमांक	विवरण	गणना
1.	मृतक की मासिक आय	26783
2.	वार्षिक आय	321396
3.	भविष्य की संभावनाएं(15% आय)	48209.4 पूर्णांकित 48209
4.	कुल	369605
5.	आयकर	18961
6.	वार्षिक आय (आयकर कटौती के बाद)	350644
7.	व्यक्तिगत व्यय (आय का 1/4)	87661
8.	आश्रितता की वार्षिक हानि	262983
9.	आश्रितता की कुल हानि (11 का गुणक लागू करने पर)	262983 x 11 = 2892813
10.	अंतिम संस्कार का व्यय	15000
11.	संपदा की हानि	15000
12.	दाम्पत्य साहचर्य और प्रेम एवं स्नेह (प्रत्येक दावाकर्ता को 40,000 रुपये)	40000 x 4 = 160000
	कुल क्षतिपूर्ति	रु.30,82,813

34. इस प्रकार, कुल क्षतिपूर्ति 30,82,813/- रुपये के रूप में पुनर्गणित किया जाता है, जिसमें से अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत 27,21,616/- रुपये की कटौती के उपरांत, 3,61,197/- रुपये की वृद्धि होगी।

35. तदनुसार, दावाकर्ता अधिकरण द्वारा पूर्व अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त 3,61,197/- रुपये की वर्धित राशि के हकदार हैं। वर्धित राशि पर अधिनिर्णीत राशि में वृद्धि की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 6% की दर से ब्याज देय होगा। आक्षेपित अधिनिर्णय उपरोक्त दर्शित सीमा तक संशोधित की जाती है तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

36. फलस्वरूप, बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 1620/2017 **खारिज** की जाती है और दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 51/2018 **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है।



37. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि वह अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध इस अपील में दावाकर्तागण को लिखित रूप में "वर्धित राशि" बताए। उक्त संचार हिंदी देवनागरी भाषा में किया जाए एवं संबंधित क्षेत्र जहां दावाकर्ता रहते हैं के विधिक सहायता सचिव के समन्वय से पैरालीगल कार्यकर्ताओं की सहायता ली जाए।

38. अधिकरण के अभिलेखों सहित इस आदेश की एक प्रतिलिपि अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, हेतु अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

सही/-

संजय कुमार जायसवाल

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

